संख्या- 6/2018/2604/33-2-2018-212(3)/96टी0सी0

प्रेषक,

जितेन्द्र बहादुर सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, अलीगढ़ ।

पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 27 जुलाई, 2018

विषय- अध्यक्ष, जिला पंचायत, अलीगढ की निष्प्रयोज्य अम्बेसडर कार संख्या-यू0पी0-81 यू0-0648 के स्थान पर नया इनोवा वाहन क्रय किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, अलीगढ मण्डल, अलीगढ के पत्र संख्या-561/राजस्व सहायक, दिनांक 17-02-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला पंचायत अलीगढ की निष्प्रयोज्य अम्बेसडर कार संख्या-यू0पी0-81 यू0-0648 के स्थान पर अध्यक्ष, जिला पंचायत, अलीगढ के प्रयोगार्थ नया इनोवा वाहन क्रय किये जाने की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत वाहन का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के सुसंगत शासनादेशों में निर्धारित सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा एवं वाहन का क्रय अद्यतन डी0जी0एस0 एण्ड डी0 रेट के नये जी0ई0एम0 पोर्टल् के अनुसार न्यूनतम दरों के अन्तर्गत एवं वाहन क्रय के संबंध में परिवहन विभाग के संगत शासनादेशों में दी गई व्यवस्था का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। उक्त वाहन के क्रय पर आने वाला व्यय-भार जिला पंचायत अपने स्रोतों से वहन करेगी तथा इसके लिए शासन से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

जितेन्द्र बहादुर सिंह
विशेष सचिव।

संख्या- 6/2018/2604(1)/33-2-2018, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) आयुक्त, अलीगढ मण्डल, अलीगढ को उनके पत्र दिनांक 17-02-2018 के संदर्भ में।
(2) अध्यक्ष, जिला पंचायत, अलीगढ।
(3) मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, अलीगढ।
(4) वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, अलीगढ।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा,

अवधेश कुमार खरे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in